

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रीमति धापू देवी एलएचवी	सीएमएचओ बांसवाडा	05.06.1957	30.06.2017
2.	श्रीमति बालामणी ए. के. एलएचवी	सीएमएचओ बांसवाडा	16.10.1957	31.10.2017
3.	श्रीमति दया डी. पी. एलएचवी	सीएमएचओ बांसवाडा	02.11.1957	30.11.2017
4.	श्रीमति नन्दकंवर चौहान एलएचवी	सीएमएचओ टोंक	03.08.1957	31.08.2017
5.	श्रीमति मेरीकुटी जोर्ज एलएचवी	सीएमएचओ करौली	30.11.1957	30.11.2017
6.	सुश्री मनभरी राठौड एलएचवी	सीएमएचओ अजमेर	30.01.1958	31.01.2018
7.	श्रीमति सिमरजीत कौर एलएचवी	सीएमएचओ बाडमेर	01.04.1958	31.03.2018
8.	श्रीमति प्रेमलता पंवार, नर्स -2	निदे0क0रा0बी योजना जयपुर	01.02.1958	31.01.2018
9.	श्रीमति शारदा शर्मा एलएचवी	सीएमएचओ भरतपुर	16.10.1957	31.10.2017
10.	श्रीमति रोशम्मा जी एलएचवी	सीएमएचओ टोंक	03.11.1957	30.11.2017
11.	श्रीमति सारम्मा मैथ्यु टी एलएचवी	पीएमओ जालौर	20.11.1957	30.11.2017
12.	श्रीमति राज कुमारी नर्स-2	अधी. हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय जयपुर	10.11.1957	30.11.2017
13.	श्रीमति लता तंवर एलएचवी	सीएमएचओ जोधपुर	17.06.1957	30.06.2017

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/से0नि0/पार्ट-1/2017/385 दिनांक 20-6-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर अजमेर रोड़ जयपुर।
3. अधीक्षक, हरिबक्श कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर/क0रा0बी0चिकित्सालय जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा / टौंक / करौली / अजमेर / बाडमेर / भरतपुर / जालौर / अलवर / जोधपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय जालौर।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशलगढ, (बांसवाडा) / सज्जनगढ (बांसवाडा) / देवली (टौंक) / टोडाभीम (करौली) / पीसांगन (अजमेर) / फलौदी (जोधपुर) / बायतू (बाडमेर) / कुम्हेर (भरतपुर)।
7. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू (बाडमेर) / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ (बांसवाडा) / सराधना (अजमेर) कल्याण केन्द्र उदयमंदिर (जोधपुर)।
8. संबंधित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश / सिजी पुत्रावली।
10. प्रभारी सर्वर रूम (मु०) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर